बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं के निबंधन की प्रक्रिया दिनांक–27.06.2024 से Online हो रहा है। दिनांक–27.06.2024 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में वैसे संवेदकों आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं जो वर्तमान में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन Offline प्रक्रिया के अंतर्गत निबंधित हैं, को दिनांक–31.08.2024 तक अनिवार्य रूप से Online प्रक्रिया के अंतर्गत अपना निबंधन परिवर्तित कराने संबंधी सूचना प्रकाशित की गयी थी। जिसे पुनः दिनांक–30.11.2024 तक विस्तारित किया गया। परन्तु अभी तक कतिपय संवेदकों द्वारा अपने निबंधन को Online प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं कराया गया है।

अतः वैसे संवेदकों जिनके द्वारा अभी तक अपने निबंधन को Online प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि दिनांक–31.03.2025 तक अनिवार्य रूप से Online प्रक्रिया के अंतर्गत अपना निबंधन परिवर्तित करा लेंगें। दिनांक–31.03.2025 तक निबंधन को Online प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तित नहीं कराने की स्थिति में निबंधन की वैधता समाप्त मानी जायेगी।

विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/wrd तथा **https://wrd.bihar.gov.in के Portal पर Visit करें।**

31.12.24

(मिथिलेश कुमार दिनकर)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)